रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2012/माघ 19, 1933
No. 51] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2012/MAGHA 19, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 73(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के कतिपय मसौदा नियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा-अपेक्षित, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 849(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), दिनांक 30 नवम्बर, 2011 में, उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 30 नवम्बर, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

तथा जबकि इस संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा नियम बनाती है, नामत: :—

1. (1) ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 2012 कहे जाएंगे ।

(2) ये मार्च, 2012 के पहले दिन से लागू होंगे ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में,—नियम-58 में, उप-नियम (2) के खण्ड (ii) के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"बशर्ते कि मृतक कर्मचारी के सभी पात्र आश्रितजनों को देय आश्रितजन हितलाभ के आवधिक मासिक भुगतान की कुल राशि एक हजार दो सौ रुपये से कम न हो ।"।

[फा. सं. एस-38012/03/2010-सा.सु.-I]

रवि माथुर, अपर सचिव

टिप्पणी :—प्रधान नियम अधिसूचना सं. का.नि.आ. 212, दिनांक 22 जून, 1950 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ), दिनांक 15 जून, 2011 द्वारा पिछला संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2012

G.S.R. 73(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, were published as required by sub-section (1) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number G.S.R. 849(E), dated the 30th November, 2011, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th November, 2011, inviting objections and

suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public,

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 30th November, 2011;

And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this regard,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely :—

1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of March, 2012.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 58, after clause (ii) of sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the total amount of the periodical monthly payment of dependants' benefit payable to all eligible dependants of a deceased employee, shall be not less than one thousand two hundred rupees.".

[F. No. S-38012/03/2010-SS-I]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended *vide* notification number G.S.R. 454(E), dated the 15th June, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.